भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3189
(08 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

वहनीय कृषि के लिए नयाचार

3189. श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी:

क्या**ग्रामीण विकास**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गैर -इमारती वन उत्पाद की सतत कटाई और वहनीय कृषि और पशुधन प्रबंधन तथा स्व -सहायता समूहों द्वारा अपनाए जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए नयाचार निर्धारित करने की योजना बना रही है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सतत रूप से काटी गई उपज अथवा हरित आदान आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए बाजारों के विकास हेतु बजट के आबंटन का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार मौजूदा पूंजीगत राजसहायता के अतिरिक्त सतत पद्धतियां अपनाने के लिए स्व-सहायता समूहों को श्रम राजसहायता प्रदान करने की योजना बना रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क):दीन दयाल अंत्योदय योजना –राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों को गैर-इमारती वन उत्पाद (एनटीएफपी) के संबंध में स्थायी उपज पद्धतियों को बढ़ावा देने तथा संगत दिशा-निर्देशों/मॉड्यूलों के अनुसार स्थायी कृषि एवं मवेशी प्रबंधन पद्धतियों को भी अपनाने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

(ख):लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और मूल्य श्रृंखला के विकास (अब इन दोनों का विलय प्रधान मंत्री जनजातीय विकास मिशन में हो गया है) के माध्यम से

लघु वन उत्पादन (एमएफपी) के विपणन की व्यवस्था की योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय हाट बाजारों, भंडार गोदामों इत्यादि के आधुनिकीकरण सहित एमएफपी मूल्य श्रृंखलाओं के विकास के लिए अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करने के लिए निधियां उपलब्ध कराता है। मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान इस घटक के अंतर्गत 354.94 लाख रुपए की राशि जारी की। इसके अतिरिक्त मांग के अनुसार तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की विधिवत प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से ग्रामीण हाटों के प्लेटफॉर्म और शैड सहित भौतिक अवसंरचना का विकास एवं उन्नयन किया जा रहा है।

(ग) और (घ): जी, नहीं। तथापि, डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) स्व-सहायता समूह सदस्यों द्वारा चलाए जाने वाले सभी आजीविका कार्यकलापों के संबंध में सेवाएं अंतिम लाभार्थी तक पहुँचाती हैं, जिसमेंगैर-इमारती वन उत्पाद (एनटीएफपी) के संबंध में स्थायी उपज पद्धतियों को बढ़ावा देना तथा संगत दिशा-निर्देशों/मॉड्यूलों के अनुसार स्थायी कृषि एवं मवेशी प्रबंधन पद्धतियों को भी अपनाना शामिल हैं। संबंधित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) स्व-सहायता समूह परिवेश सेकृषि सखियों, पशु सखियों, वन सखियों, मत्स्य सखियों इत्यादि जैसी इन सीआरपी को पहचान करने के बादसंगत क्षेत्र का प्रशिक्षण प्रदान करता है। संबंधित राज्य इन सीआरपी को अपने मानकों के अनुसार मानदेय देते हैं।

****